प्रेस नोट
दिनांक 25.05.2025, थाना परसपुर
जनपद गोण्डा।

थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत सरकारी कार्य में बाधां डालने व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 167/25, धारा 221, 352, 351(3), 121(1), 132, 121(2), 109, 324(2) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. हरिओम द्विवेदी पुत्र स्व0 रामदास द्विवेदी निवासी ग्राम सेमरी थाना परसपुर, जनपद गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.05.2025 को समाधान दिवस के अवसर पर प्राप्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु लेखपाल इन्द्रेश कुमार वर्मा, क्षेत्रीय लेखपाल शेषनरायण शर्मा, लेखपाल दीपक यादव द्वारा जलमग्न भूमि की जांच की जा रही थी, जिसमें पुलिस टीम भी मौके पर मौजूद थी। जांच के दौरान विपक्षी हरिओम द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय रामदास द्विवेदी, निवासी ग्राम सेमरी, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा मौके पर आकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए अवरोध करने लगे। जब विपक्षी को समझाने का प्रयास किया गया तो वह गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। बीच-बचाव करने आए का0 निशांत सिंह के साथ मारपीट की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। लेखपाल श्री इन्द्रेश कुमार वर्मा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर पर मु0अ0सं0 167/25, अंतर्गत धारा 221, 352, 351(3), 121(1), 132, 121(2), 109, 324(2) बीएनएस एवं 07 सीएलए एक्ट बनाम हरिओम द्विवेदी के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया।

दिनांक 24.05.2025 को नामजद अभियुक्त हरिओम द्विवेदी को उसके निवास स्थान ग्राम सेमरी से गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही थाना परसपुर पुलिस द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. हरिओम द्विवेदी पुत्र स्व0 रामदास द्विवेदी निवासी ग्राम सेमरी थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0 167/25, धारा 221, 352, 351(3), 121(1), 132, 121(2), 109, 324(2) बीएनएस, 07 सीएलए एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार शुक्ला
02. का0 चरन सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 25.05.2025, थाना खरगूपुर,
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी करने के उपकरण व विक्रय के 5500/- रूपये बरामद।

बरामद-

कार्यवाहीः-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों-01. रबीउल्ला, 02. कमरूद्दीन उर्फ छैलू, 03. सहाबुद्दीन उर्फ भद्दू को बनघुसरा में स्थित गौशाला से पहले नहर पुल पटरी के नीचे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण 01 अदद तार काटने का कटर, 01 अदद लोहे का पकड़, 01 अदद आरी ब्लेड, 02 अदद चाकू, 01 अदद टार्च, 01 अदद सरसी, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद प्लास, 01 अदद छेनी, 01 लोहे का सब्बल, विक्रय का 5500 रूपये नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-100/2025, धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 11.09.2024 को थाना कर्नलगंज के उ0नि0 कामेश्वर राऊत मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे चेकिंग के दौरान चोरी की योजना बनाते समय 03 शातिर चोरों-01. रबीउल्ला, 02. कमरूद्दीन उर्फ छैलू, 03. सहाबुद्दीन उर्फ भद्दू को बनघुसरा में स्थित गौशाला से पहले नहर पुल पटरी के नीचे से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी करने के उपकरण 01 अदद तार काटने का कटर, 01 अदद लोहे का पकड़, 01 अदद आरी ब्लेड, 02 अदद चाकू, 01 अदद टार्च, 01 अदद सरसी, 01 अदद हथौड़ी, 01 अदद प्लास, 01 अदद छेनी, 01 लोहे का सब्बल, विक्रय का 5500 रूपये नगद बरामद किया गया।। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-100/2025, धारा 313 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. रबीउल्ला पुत्र मो0 फारूख उर्फ बारूदे निवासी ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
02. कमरूद्दीन उर्फ छैलू उर्फ कमरू पुत्र फखरूद्दीन निवासी ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।
03. सहाबुद्दीन उर्फ भडडू पुत्र गयासुद्दीन निवासी ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-100/2025, धारा 313 बीएनएस थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 01 अदद तार काटने का कटर
02. 01 अदद लोहे का पकड़
03. 01 अदद आरी ब्लेड
04. 02 अदद चाकू
05. 01 अदद टार्च
06. 01 अदद सरसी
07. 01 अदद हथौड़ी
08. 01 अदद प्लास
09. 01 अदद छेनी
10. 01 लोहे का सब्बल
11. विक्रय का 5500 रूपये नगद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 कामेश्वर राऊत
02. हे0का0 राहुल मिश्रा
03. का0 चेतन पाण्डेय
04. का0 पंकज प्रेमी
05. का0 अजीत निषाद

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 25.05.2025

परिवार परामर्श केन्द्र में 02 जोड़ा एक साथ रहने को हुआ राजीः-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित परिवार परामर्श केन्द्र में पुलिस अधीक्षक गोंडा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में परामर्शदाताओं द्वारा बिछुडे जोड़ों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया तथा 02 जोड़ा को समझा बुझाकर सुखी जीवन जीने हेतु राजी कर लिया गया।

परिवार परामर्श केन्द्र में उपस्थिति सदस्यगण-

श्री गंगाधर शुक्ला, श्री राजमंगल मोर्या, श्री यशोदा नन्दन त्रिपाठी, महिला उ0नि0 श्रीमती प्रियंका सिंह, म0आ0 ज्योति राजभर, म0आ0 शाहिना बानों आदि उपस्थित रही।

मीडिया सेल, गोंडा।